

व्याजालय _____ बनाम _____
 3/2/24

मुकदमा संख्या / वर्ष _____
 प्राथमिकी क्रमांक / 20 _____

| | | | |
|---------|---------------------------|----------------------|------------|
| क्रमांक | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवर |
|---------|---------------------------|----------------------|------------|

29/12/24

पत्रावली क्रमांक 1। वकील साहू द्वारा
 संख्या 01/10/23 उप 01 प्राथमिकी का शीघ्र पुनर्वाह
 पर वकील साहू संख्या 01/10/23 में लिखित
 विवर कि प्रकरण / मूल वडा प्राथमिकी संख्या
 विवेचना के शासकीय (सी विपट्टे)
 तथा वकील साहू को वडा प्राथमिकी की
 प्रति उपलब्ध नही करवायी गयी है। मूल वडा
 प्राथमिकी की जाफती एवं शीघ्र पुनर्वाह के
 शासकीय वकील साहू लिखित वकील साहू
 द्वारा प्राथमिकी के वडा प्राथमिकी की प्रति
 उपलब्ध करावे। मूल वडा एवं शीघ्र पुनर्वाह
 प्राथमिकी के एक ही शासकीय पत्र लिखने से
 से प्राथमिकी शीघ्र पुनर्वाह का त्याग का
 कोई औचित्य नही है। प्राथमिकी का
 Fructuous (निष्फल) होने से प्राथमिकी
 परामर्श नही। जाफती एवं नए से
 अर्थात् प्राथमिकी के लिए दायित्व प्रमाणित
 दिनांक 29/12/2024 को पुनः
 व्याजालय के पुनर्वाह पर

29/12/2024
 [Signature]
